उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-03/2020/आडिट-1-36/दस-2020
लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-412/अ-5/2020, दिनांक 09.01.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 से उक्त संस्थाओं की लेखा परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके क्रम में उक्त पत्र दिनांक 09.01.2020 द्वारा इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा हेतु किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: श्री राज्यपाल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत श्री राजीव रत्न मालवीय, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-03/2020/आडिट-1-36(1)/दस-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, वालाकदर रोड़, लखनऊ।
6. श्री राजीव रत्न मालवीय, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in